न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 154/2024 निर्णय दिनांक 19.11.2024
जीसीएमएस नम्बर 2024/324

सन्तोष देवी पत्नी सन्दीप कुमार पुत्री केशराराम जाति जाट निवासी दुसारणा बास बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादीनी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ 2. कोजुराम पुत्र सालुराम 3. भरतराम पुत्र केशराराम 4. रामनिवास पुत्र केशराराम 5. रामप्रताप पुत्र केशराराम 6. शान्ति देवी पत्नी पोकरराम 7. नानु देवी पत्नि केशराराम जातियान जाट निवासीगण दुसारणा बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री के. के. पुरोहित अभिभाषक वादीनी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. श्री बजरंग शर्मा अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 2 ता 7 ओर से

वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी की ओर से दावा निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि वादीनी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 24 तादादी 15.0100 हैक्टेयर रोही ग्राम दुसारणा बास बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ मे स्थित है, जिसमे वादीनी का 299/5935 हिस्सा अवस्थित है। खसरा नम्बर 71 तादादी 5.0300 हैक्टेयर रोही ग्राम दुसारणा बास बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ मे स्थित है, जिसमे वादीनी का 1/5 हिस्सा अवस्थित है। वादीनी के पिता केशराराम की मृत्यु के बाद वादगत कृषि भूमि मे वादीनी का पीहर का नाम मूलीदेवी पुत्री केशराराम दर्ज हो गया। वादीनी की शादी के बाद ससुराल पक्ष द्वारा वादीनी का नाम सन्तोष देवी रख दिया गया तथा वादीनी के तमाम दस्तावेज यथा आधार कार्ड व पैन कार्ड मे वादीनी का नाम सन्तोष देवी पत्नी सन्दीप कुमार अंकित है। वादीनी की जमाबन्दी मे पीहर का नाम मूली देवी दर्ज होने व जमाबन्दी मे सन्तोष देवी दर्ज होने से वादीनी को अपनी कृषि भूमि के उपयोग, उपभोग बैंक से के.सी.सी ऋण इत्यादि लेकर भूमि को विकसित करने काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। वादीनी ने प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 17.07.2024 को जमाबन्दी में सन्तोष देवी अंकित करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने क्षेत्राधिकार से बाहर होने का हवाला देते हुऐ जमाबन्दी में सन्तोष देवी अंकित करने से मना कर दिया यही वाद हेतूक है। वादीनी ने प्रतिवादी संख्या 1 से किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा है । लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 कृषि भूमि का भूधारक होने के कारण पक्षकार संयोजित किया गया है, कानूनी प्रावधानो को मध्य नजर रखते हुऐ धारा 80 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थनापत्र अलग से प्रस्तुत कर नोटिस के अभाव में दावा प्रस्तुत करने की अनुमति चाही गई है। दावा की विषयवस्तू कृषि भूमि रोही ग्राम दुसारणा बास बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित होने से दावा श्रीमान के श्रवणाधिकार व्र क्षेत्राधिकार का है। दावा अन्दर मियाद व पूर्ण कोर्ट फीस पर सादर प्रस्तुत है। अतः वादी का दावा निम्नप्रकार से डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया गया है :—

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.03 17:04:08 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बर 154

(क) कि खेत खसरा नम्बर खसरा नम्बर 24 तादादी 15.0100 हैक्टेयर रोही ग्राम दुसारणा बास बड़ा व खसरा नम्बर 71 तादादी 5.0300 हैक्टेयर रोही ग्राम दुसारणा बास बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ मे वादीनी का नाम मूली देवी की जगह सन्तोष देवी की घोषणा की डिक्री जारी करे ।

(ख). कि खेत खसरा नम्बर 24 तादादी 15.0100 हैक्टेयर रोही ग्राम दुसारणा बास बड़ा व खसरा नम्बर 71 तादादी 5.0300 हैक्टेयर रोही ग्राम दुसारणा बास बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादीनी का नाम सन्तोष देवी दर्ज किये जाने का प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित किया जावे ।

(ग). कि दौराने दावा वादीनी के पक्ष में उत्पन होने वाले हित वादीनी के पक्ष में फरमाया जावे।

वादिनी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 जरिये अधिवक्ता उपरिथत होकर जवाबदावा पेश किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकार ने जवाब दावा पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में प्रतिवादीगण एवं स्टेट को वादिनी वाद स्वीकार करनें में आपति नही होने व वादिनी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर खसरा नम्बर 24 तादादी 15.0100 हैक्टेयर रोही ग्राम दुसारणा बास बड़ा व खसरा नम्बर 71 तादादी 5.0300 हैक्टेयर रोही ग्राम दुसारणा बास बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ मे वादीनी का नाम मूली देवी के स्थान पर सन्तोष देवी की घोषणा की जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.03 17:04:08 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

सन्तोष देवी पत्नी सन्दीप कुमार पुत्री केशराराम जाति जाट निवासी दुसारणा बास बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ 2. कोजुराम पुत्र रालुराम 3. भरतराम पुत्र केशराराम 4. रामनिवास पुत्र केशराराम 5. रामप्रताप पुत्र केशराराम 6. शान्ति देवी पत्नी पोकरराम 7. नानु देवी पत्नि केशराराम जातियान जाट निवासीगण दुसारणा बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 154/2024

दावा बाबत: घोषणात्मक

निर्णय दिनांक: 19.11.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री के.के.पुरोहित अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व श्री बजरंग शर्मा अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 की ओर से व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **कि खेत खसरा नम्बर खसरा नम्बर 24 तादादी 15.0100 हैक्टेयर रोही ग्राम दुसारणा बास बड़ा व खसरा नम्बर 71 तादादी 5.0300 हैक्टेयर रोही ग्राम दुसारणा बास बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ मे वादीनी का नाम मूली देवी के स्थान पर सन्तोष देवी की घोषणा की जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेशित दिया जाता है। तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।**

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 19 माह 11 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी,
श्री (डूँगरगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.12.03 17:04:08 IST
Reason: SelfAttested